



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-606 राँची, सोमवार,

6 दिसम्बर, 2021 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

1 दिसम्बर, 2021

संख्या- भू०स्था०(अ०राज०मु०)-13/2009,2417-एम० भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग के भूतत्व निदेशालय के अधीन अधिसूचित भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2015 में निम्नांकित संशोधन करते हैं-

1. शीर्षक:- यह नियमावली “भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021” कहलायेगी ।
2. अध्याय-3 के नियम-8 (क) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अधिसूचित नियमावली में अंकित नियम	संशोधित नियम
भूतात्विक विश्लेषक के पद पर नियुक्ति हेतु बी०एस०सी० (रसायन शास्त्र) में प्रतिष्ठा की डिग्री अनिवार्य होगी ।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक बी०एस०सी० (रसायनशास्त्र) में प्रतिष्ठा की डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा । परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10 वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के अनुसार अध्याय-3 की कंडिका-7 हेतु अनुसूची "ख" को भी संशोधित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सचिव

खान एवं भूतत्व विभाग ।
